न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **26/2023** दायर दिनाँक **07.11.2023**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. सदीक पुत्र गनी जाति देशवाली निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना – कुचामन राज.।	बनाम	1. मुंशी खां पुत्र गनी 2. अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद 3. अहमद अली गहलोत पुत्र मोहम्मद 4. केशर बानों पुत्री मोहम्मद 5. जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद 6. नूर जहां पुत्री मोहम्मद 7. नसीरन पुत्री मोहम्मद 8. मो. असलम पुत्र मोहम्मद 9. मो. नासिर पुत्र मोहम्मद 10. मो. साकिर पुत्र मोहम्मद 11. यासीन गहलोत पुत्र मोहम्मद 12. रोशन बानों पुत्री मोहम्मद 13. साबरा पुत्री मोहम्मद 14. आशिया पुत्री कमालुदीन 15. जरीना पुत्री कमालुदीन 16. नसीबन पुत्री कमालुदीन 17. फिरोजा पुत्री कमालुदीन 18. बशीरन पुत्र कमालुदीन 19. मोहम्मद इब्राहीम पुत्र कमालुदीन 20. हाजरा पुत्री कमालुदीन 21. अहमद सवालीन पुत्र जमाल 22. आयशा पुत्री अब्दुल हफीज नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकिया 23. इस्लामुदीन पुत्र अब्दुल हफीज नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकिया 24. शहनाज पुत्री अब्दुल हफीज 25. समरीन बानों पुत्री अब्दुल हफीज 26. रूकिया पत्नी अब्दुल हफीज 27. जेनब पुत्र जमाल 28. मो. सफीक पुत्र जमाल 29. मो. युसुफ पुत्र जमाल 30. मो. रफीक पुत्र जमाल 31. रहमत पत्नी जमाल 32. राबिया पुत्री जमाल समस्त जाति देशवाली निवासीगण रामसाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान। 33. अमराराम पुत्र जीवण 34. घासीराम पुत्र जीवण 35. [illegible] पुत्र [illegible] समस्त [illegible] निवासीगण [illegible] जिला डीडवाना कुचा[illegible]स्थान 36. तहसीलदार [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री पूर्ण सिंह बोहरा वकील प्रार्थी।
2. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन वकील अप्रार्थी संख्या 1, 19 तथा 28 ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 04.08.2025

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि मौजा रामसाबास पटवार हल्का बालिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना में खेत खसरा संख्या 232 रकबा 0.4300 हैक्टेयर प्रार्थी की एकल खातेदारी में अवस्थित है। उक्त भूमि में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जिस हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 239 रकबा 0.0300 हैक्टेयर जो अप्रार्थी संख्या 33 ता 35 के खातेदारी सुदा है व खसरा संख्या 236 रकबा 0.0600 हैक्टेयर जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 32 के संयुक्त खातेदारी में है में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहता है।

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 18, 29 ता 36 के बावजूद सम्मन तामिली न्यायालय में अनुपस्थित होने के से एकतरफा कार्यवांही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 19 तथा 28 की ओर से अधिवक्ता सैयद अल्ताफ हुसैन ने वकालतनामा पेश किया गया।

तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– प.1(1)रीडर/2024/301 दिनांक 29.06.24 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करने पर आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार कर मौका रिपोर्ट पुनः चाही गई। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– प.1(10)रीडर/2024/322 दिनांक 04.07.2025 द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना द्वारा रिपोर्ट के अनुसार मौजा रामसाबास के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4300 है. के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। मौजा रामसाबास के खसरा नम्बर 232 रकबा 0.4300 है. में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। मौजा रामसाबास के खसरा नम्बर 239, 236 में से नजदीकी रास्ता लगता है। खसरा संख्या 239 सम्पूर्ण में बिन्दु संख्या ABCD रकबा 300 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 236 में बिन्दु संख्या BEFG रकबा 250 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधी बहस करना चाहा। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का निवेदन किया। जवाब में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट सही बताते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया एवं तत्समय विधि का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता निकटतम है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करने, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 232 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 236 के में से रास्ता चाहा गया है।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार द्वारा रास्ता खसरा संख्या 239 में मार्क ए, बी, सी से डी एवं खसरा संख्या 236 में मार्क बी, ई, एफ, जी प्रस्तावित किया गया है। वकील प्रार्थीगण तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट से सहमत है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 239 में मार्क ए, बी, सी से डी एवं खसरा संख्या 236 में मार्क बी, ई, एफ, जी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, प्रार्थीगण की सहमति तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा रामसाबास के खेत खसरा सं0 232 रकबा 0.4300 हैक्टे0 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक प. 1(10)रीडर/2024/322 दिनांक 04.07.2025 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 239 में मार्क ए, बी, सी से डी एवं खसरा संख्या 236 में मार्क बी, ई, एफ, जी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक– प.1(10)रीडर/2024/322 दिनांक 04.07.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested